संख्याः 257/2024/991/35-4-2024/35-4099/41/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 अगस्त, 2024

विषय: जनपद सोनभद्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद सोनभद्र में शासनादेश संख्या-542/2023/1240/35-4-2023, दिनांक 29 मार्च 2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 07 स्वीकृत कार्यों हेतु रू0 300.63 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.32 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिसमें से प्रश्नगत 04 कार्यों **(उक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 के क्रमांक - 4, 5, 6 व 7 पर अंकित कार्य**) हेतु कुल लागत रू0 122.61 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 61.30 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्र सं0-518/त्वआ0वि0यो0 /2024-25 दिनांक 18 जून, 2024 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 से स्वीकृत प्रश्नगत कार्यों की लागत के सापेक्ष अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग विवरण प्रस्तुत करते हुए Extract of Bond-के अनुसार अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए Extract of Bond के अनुसार देय अवशेष धनराशि रू0 61.11 लाख **(रूपये इकसठ लाख ग्यारह हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू. लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	Extract of Bond के अनुसार लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	ब्लाक रावर्ट्सगंज में चुर्क पुलिस चौकी तिराहे से चुर्क ग्राम पंचायत भवन तक सम्पर्क मार्ग के लेपन स्तर का कार्य।	40.83	40.81	20.40	20.41
2	ब्लाक रावर्ट्सगंज के ग्राम सफरीपुर में कृष्ण कुमार के घर के बंगल से शिवमंदिर तक सम्पर्क मार्ग के लेपन स्तर का कार्य।	33.19	33.11	16.60	16.51
3	ब्लाक रावर्ट्सगंज के ग्राम कुरथा में रामदुलारे हरिजन के खेत के बंगल में पक्की रोड से नहर तक सम्पर्क मार्ग के लेपन स्तर का कार्य ।	25.33	25.32	12.67	12.65

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	ब्लाक रावर्ट्सगंज के ग्राम बिजौली मुख्य मार्ग प्राथमिक विद्यालय से बिजौली नई बस्ती धमेन्द्र दूबे के घर तक सम्पर्क मार्ग को लेपन का कार्य।	23.26	23.17	11.63	11.54
	योग	122.61	122.41	61.30	61.11

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 61.11 लाख (रूपये इकसठ लाख ग्यारह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष- 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्याः 257/2024/991(1)/35-4-2024/35-4099/41/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. मण्डलायुक्त मिर्जापुर मण्डल।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
11. संबंधित संयुक्त निदेशक, सटेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सोनभद्र ।
14. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सोनभद्र ।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।